12-4-19	पत्रावली पेश हुई। वादी–प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/ भ्रमण..चुनाव कार्य...हि.व्यस्त..होने से पत्रावली दिनांक 10-6-19 को पेश होवें। रीडर
10-6-19	पत्रावली पेश हुई। वादी–प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/ भ्रमण...[illegible]..होने से पत्रावली दिनांक 19-7-19 .को पेश होवें। रीडर
19-7-19	पत्रावली पेश हुई। वादी–प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/ भ्रमण..[illegible]..होने से पत्रावली दिनांक 21-8-19 को पेश होवें।
21-8-19	पत्रावली पेश हुई। वादी–प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/ भ्रमण..R.O. बैठक में व्यस्त..होने से पत्रावली दिनांक 16-9-19. को पेश होवें। रीडर
16-9-19 Notpress	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादी वकील उपस्थित हुए। प्रतिवादी वकील श्री लक्ष्मीनारायण नायक द्वारा पत्रावली पर हस्ताक्षर किये गये कि निरस्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुए
	हिदायत पेशी नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 से 6 तक का जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली में एक पक्षीय बहस सुनी गई। विवादग्रस्त भूमि मौजा खराडीवास पटवार हल्का पहाड़ा की वादग्रस्त भूमि प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार वादी एवं प्रतिवादी दोनों संयुक्त खातेदारी है उसका एक वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act के तहत न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने एवं एक तरफा बहस पर मनन कर यह आदेश किया जाता है कि दोनों पक्ष मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि कि स्थिति यथावत बनाये रखे दोनों पक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे। तथा मूल वाद पत्र के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी खरवाडा जि. उदयपुर	